आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	प्रार्थीपत्र ने वाद-पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने हेतु स्वयंकी जाहिर की। पत्रावली वास्ते आदेश आइंदा दिनांक 16/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	उ.नि. नाजीराम
16/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकला उप.। वाद-वादी राजीनामा प्रपत्र दिनांक 18/3/25 अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद-वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित होकर शामिल मिसल होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	उ.नि. ओंकारमल पक्षकार [illegible] अंगूठे निशान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

...अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.) दर्ज दिनांकः 22.11.2017

...ा.एम.एस.नं.– 2017 / 00447

...कदमा संख्याः– 247 / 2017 निर्णय दिनांकः– 16 / 04 / 2025

1. भागु पुत्र मूलाराम
2. नरसीराम पुत्र मूलाराम
3. गीदाराम पुत्र मूलाराम जाति माली निवासीगण कुआ शाहवाली तन कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

........वादीगण

बनाम

1. बंशीधर पुत्र मांगूराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 6 कुआ खात्यावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
2. भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी

...प्रतिवादीगण

विद्वान अधिवक्ता वादीगणः– श्री बीरबल सैनी

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– श्री कुरड़ाराम सैनी, श्री भंवरलाल सिंगोदिया

दावा घोषणार्थ

निर्णय दिनांकः– 16 / 04 / 2025

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में पुराने ख.नं. 1482 तादादी 2 बीघा 11 बिश्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 1429 रकबा 0.48 हैक्टर ख.नं. 1440 रकबा 0.35 हैक्टर है। उपरोक्त भूमि विवादित भूमि है। भूमि पुराने ख.नं. 1482 तादादी 2 बीघा 11 बिश्वा भूमि के खातेदार दुलाराम पुत्र श्योलाराम जाति माली निवासी उदयपुरवाटी था जिसने दिनांक 21.6.1977 को पुराने ख.नं. 1482 में 1 बीघा 7 बिश्वा मय पम्पिंग सेट सहित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा वादिगण को विक्रय कर भौतिक कब्जा मौके पर दिया जाकर पंजीयन कार्यालय उदयपुरवाटी में विक्रय पत्र पंजियन करवा दिया था तथा वादिगण निर्विवाद रूप से आज भी मौके पर काबिज है। वादिगण ने विक्रय पत्र दिनांक 21.6.1977 को पंजीयन करवाकर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया। परन्तु कानूनन जानकारी नहीं होने से विक्रय से भूमि दर्ज होना मान लिया। परन्तु विवादित भूमि का नामान्तरण आज तक रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। जिसका वादिगण को कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए वादीगण को प्रस्तुत वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अंत में निवेदन किया कि वादिगण का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकि फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में पुराने ख.नं. 1482 तादादी 2 बीघा 11 बिश्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 1429 रकबा 0.48 हैक्टर एवं ख.नं. 1440 रकबा 0.35 हैक्टर में से मौके

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

SCAN AnyScanner

1 बीघा 7 बिश्वा अर्थात् 0.35 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा उपयोग उपभोग का उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 18.03.2025 को एक राजिनामा पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र पत्र के मद सं. 1 में वर्णित ख.नं. 1482 जिसके वर्तमान ख.नं. 1429 रकबा 0.48 हैक्टर एवं ख.नं. 1440 रकबा क्रमशः 0.48 हैक्टर, 0.35 हैक्टर कुल रकबा 0.83 हैक्टर में से 0.35 हैक्टर का विक्रय वादीगण के हक में प्रतिवादी के दादा दूलाराम द्वारा विक्रय पत्र करवाया जाना बताया गया है। जिसका नामान्तरण वादीगण की सजगता के अभाव में नहीं चढ सका है। मौके पर कब्जा काश्त बाबत् हमारे कोई विवाद नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1977 के मुताबिक वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज की जाति है तो प्रतिवादी को कोई आपति व एतराज नहीं है। अतः में निवेदन किया गया कि राजीनामा अनुसार वाद डिक्रि किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपति एतराज नहीं है। राजीनामा मय दस्तावेजात बाद सत्यापन शामिल मिशल किया गया।

वकील वादी द्वारा साक्ष्य के शपथ–पत्र वादी सं. 2 व 3 को पेश होने पर बयान क्रमबद्ध किये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी का साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया गया व बयान क्रमबद्ध किये गये। वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्रि किये जाने हेतु सहमति जाहिर की।

राजीनामा प्रपत्र, पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात यथा विक्रय पत्र व पत्रावली का अवलोकन करने पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में पुराने ख.नं. 1482 तादादी 2 बीघा 11 बिश्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 1429 रकबा 0.48 हैक्टर एवं ख.नं. 1440 रकबा 0.35 हैक्टर में से 1 बीघा 7 बिश्वा अर्थात् 0.35 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार **काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।**

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन.)

निर्णय आज दिनांक 16/04/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन.)

SCAN AnyScanner

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांकः 22.11.2017
जी.सी.एम.एस.नं.– 2017/00447
मुकदमा संख्याः– 247/2017

निर्णय दिनांकः– 16/04/2025

भागुराम बनाम बंशीधर आदि

दावा बाबत् घोषणार्थ

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान के डिक्री दी जाती हैः–

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में पुराने ख.नं. 1482 तादादी 2 बीघा 11 बिश्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 1429 रकबा 0.48 हैक्टर एवं ख.नं. 1440 रकबा 0.35 हैक्टर में से 1 बीघा 7 बिश्वा अर्थात् 0.35 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार **काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।**

दाबन.–.....–.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –..... ..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –.....–..... का अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 05 सन 2025को जारी की गई।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन.)